कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त आशीष त्रिपाठी के विरुद्ध की गई धारा 14(1) की कार्यवाही

दिनाँक 26.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्तो के विरुद्ध धारा 14(1) की कार्यवाही के अभियान के तहत प्र0नि0 कोतवाली नगर श्री अनिल कुमार सिंह मय हमराहियान के जिला मजिस्ट्रेट महोबा के अनुपालन में वाद सं0- 00197/2020 सरकार बनाम आशीष त्रिपाठी अन्तर्गत धारा 14 (1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986, सम्बन्धित मु0अ0सं0 446/18 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, जो थाने का टाप-10 अपराधी है, के द्वारा अपराध से अर्जित की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिनाँक 25.09.2020 को जिला मजिस्ट्रेट महोबा के आदेशान्तर्गत **02 अदद चार पहिया वाहन 1.** UP95 P 0315 (जीप) **2.** UP91 J 0009 (XUV 500) को नियमानुसार 02 गवाहो के समक्ष कुर्क (जब्त) किया गया। उक्त दोनो वाहन आशीष त्रिपाठी के नाम रजिस्टर्ड हैं।

जब्त सम्पत्ति का विवरण:-

1. UP95 P 0315 (जीप)
2. UP91 J 0009 (XUV 500)

अभियुक्त का विवरण:-

आशीष त्रिपाठी पुत्र अशोक त्रिपाठी नि0मु0 गाँधी नगर, प्राइवेट बस-स्टैण्ड के पास थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. अनिल कुमार सिंह (प्र0नि0 कोतवाली नगर)
2. उ0नि0 विनोद कुमार
3. उ0नि0 विजय द्विवेदी
4. उ0नि0 राजबहादुर सिंह
5. का0 अमन यादव
6. का0 संदीप कुमार

चरखारी पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर व अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/गैंगेस्टर अभियुक्तो के धरपकड अभियान के क्रम में कल दिनांक 26.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी विपिन त्रिवेदी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 248/2020 धारा 452/354/504/506/420 भादवि के वांछित अभियुक्त मुसम्मी एहसान पुत्र मोहम्मद जमीर उम्र 32 वर्ष को कस्बा चरखारी के पास से गिरफ्तार करते हुये थाना पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

उ.नि. सुनील कुमार मय हमराह हे.का. बृजेश कुमार व का. राहुल यादव थाना चरखारी जिला महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

मुसम्मी एहसान पुत्र मोहम्मद जमीर उम्र 32 वर्ष नि. मु.तुर्कियाना कस्बा चरखारी थाना चरखारी जनपद महोबा

खरेला पुलिस ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर व अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब/जुआं में लिप्त अभियुक्तो के धरपकड अभियान के क्रम में कल दिनांक 26.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला सन्तोष कुमार सिंह द्वारा गठित टीम कां0 भारत मौर्या व कां0 सोहित कुमार की कार्यकुशलता द्वारा पुन्निया तिराहा कस्बा व थाना खरेला के पास से 20 अदद पौवा देशी शराब ठेका नाजायज के साथ अभियुक्त राजेश अहिरवार पुत्र कट्टी अहिरवार उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 117/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाला पुलिस बलः-

1.का0 भारत मौर्य

2.का0 सोहित कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

राजेश अहिरवार पुत्र कट्टी अहिरवार उम्र करीब 23 वर्ष नि0 ग्राम बारी थाना खरेला जनपद महोबा

कुलपहाड पुलिस ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वारण्टी/वांछित अभियुक्तो के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड द्वारा गठित टीम के नेतृत्व में 01 नफर वारण्टी अभियुक्त शहजाद पुत्र हनीफ उम्र करीब 28 वर्ष सम्बन्धित केस नं0 512/19 धारा 498ए/427/323/504/506/326 भादवि व ¾ डीपी एक्ट सम्बन्धित मां0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड । अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम लाडपुर से गिरफ्तार किया गया व विधिक कार्यवाही करते हुये मां0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शहजाद पुत्र हनीफ उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

(1) उ0नि0 कमलाकान्त मिश्रा थाना कुलपहाड़

(2) कां0 विनोद कुमार थाना कुलपहाड़

कुलपहाड पुलिस ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तो के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड द्वारा गठित टीम के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 254/2020 धारा 498ए/506/306 भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त आकाश सेन उर्फ अब्बू पुत्र रामप्रकाश सेन उम्र करीब 29 वर्ष को बस स्टैण्ड कस्बा व थाना कुलपहाड से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त को विधिक कार्यवाही करते हुये मां0 न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आकाश सेन उर्फ अब्बू पुत्र रामप्रकाश सेन उम्र करीब 29 वर्ष निवासी मुहल्ला हटवारा थाना ओरछा जनपद छतरपुर(म0प्र0)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

(1) उ0नि0 रामविलास शुक्ला थाना कुलपहाड़

(2) कां0 शैलेन्द्र कुमार थाना कुलपहाड़

(3) कां0 रनधीर सिंह थाना कुलपहाड़

महोबकंठ पुलिस ने हत्या के अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/गैंगेस्टर अभियुक्तो के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.09.2020 को थानाध्यक्ष महोबकंठ आनन्द कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 148/2020 धारा 302 भादवि के अभियुक्त हरनारायण पुत्र बृजलाल प्रजापति उम्र करीब 35 वर्ष को ग्राम परापातर के ऊपर बने ग्डोयी बाबा चबुतरा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त ने कल दिनांक 26.09.2020 को अपने ही 02 बच्चों की गला दबा कर हत्या कर दी थी। अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुये मां0 न्यायालय समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री आनन्द कुमार ।
2.हे0कां0 रामनरेश सिंह 3. कां0 प्रवेन्द कुमार।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हरनारायण पुत्र बृजलाल प्रजापति उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम परापातर थाना महोबकंठ जिला महोबा।

दिनांक- 27.09.2020

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल

*अजनर पुलिस ने क्रियाशील शातिर अपराधी को अवैध देशी तमंचे सहित किया

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे शातिर गैंगेस्टर अभियुक्तो के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.09.2020 को प्र0नि0 अजनर श्री विनोद कुमार प्रजापति के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना अजनर का क्रियाशील शातिर अपराधी अभियुक्त रामकुमार विश्वकर्मा पुत्र छक्कीलाल उम्र करीब 40 वर्ष को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 163/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-

1. उ0नि0 यज्ञनारायण भार्गव थाना अजनर महोबा
2. का. प्रभात कुमार 3. कां. अशोक कुमार थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रामकुमार विश्वकर्मा पुत्र छक्कीलाल उम्र करीब 40 वर्ष नि. ग्राम लेवा थाना अजनर जनपद- महोबा।

आपराधिक इतिहास क्रियाशील अपराधी रामकुमार विश्वकर्मा पुत्र छक्कीलाल उम्र करीब 40 वर्ष नि. ग्राम लेवा थाना अजनर जिला महोबा

1. मु.अ.स.151/18 धारा 394/327/411 भादवि
2. मु.अ.स.154/18 धारा धारा 25 आर्म एक्ट
3. मु.अ.स.187/18 धारा 3(1) गैगंस्टर एक्ट
4. मु.अ.स. 8/19 धारा 3 यूपी गुण्डा
5. एनसीआर न. 82/2020 धारा 323/504/506 भादवि
6. मु.अ.सं. 163/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

दिनांक- 27.09.2020

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल

महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग व लोगो को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरूक

आज दिनाँक 27.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थानो द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गस्त की गई। गस्त के मुख्य बाजार, बस-स्टैण्ड, धार्मिक स्थलो सहित होटल/ढाबो/दुकानो की चेकिंग की गई। इस दौरान वहाँ कोविड-19 नियमो के तहत सैनेटाइजर/मास्क/सोशल डिस्टेन्सिंग आदि नियमो के बारे में लोगो को बताया गया । पैदल गस्त के दौरान लोगो को **कोविड-19** संक्रमण को जागरुक भी किया गया। लोगो को घरो से बाहर निकलने पर **मास्क लगाने व 02 गज की दूरी** बनाये रखने की अपील की गई।

कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 13350/-रू0 का जुर्माना एवं यातायात नियमो के तहत किये गये ई-चालान

आज दिनाँक 27.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरुकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रो में चेकिंग की गई । जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमो के उल्लंघन** पर समस्त थानो द्वारा **कोविड-19 के तहत 121 व्यक्तियों से 13350/-रू0** जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमो के उल्लंघन पर **32 ई-चालान** किया गया।

जागरुकता अभियान के तहत लोगो को **नोवल कोरोना वायरस** के प्रति लोगो को जागरूक करते हुए घरो में सुरक्षित रहने तथा **मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेन्स (02 गज की दूरी)** बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।